

प्रेस नोट दिनांक 01-02-2023

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व ₹ 25,000/-के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में दिनांक 01-02-2023 को जनपद सिद्धार्थनगर के थाना त्रिलोकपुर पर पंजीकृत मु.अ.सं. 98/2018 धारा 302 भा0द0वि (वाद संख्या-07/2019) से सम्बन्धित अभियुक्त मंगलगिरी निवासी ग्राम बौनाजोत थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर को प्रभावी पैरवी कर दण्डित कराया गया । उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त मंगलगिरी को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांसी द्वारा आजीवन कारावास तथा ₹ 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में ईश्वर चन्द दुबे, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता व न्यायालय पैरोकार हे0का0 तलिमुद्दीन खान थाना त्रिलोकपुर का सराहनीय योगदान रहा ।